न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 35/अपील/2021 (GCMS No. 2021/61)	22.03.2021	15.10.2024

1. मोहनलाल आ. नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
2. ओमप्रकाश आ. नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
3. भेरी बाई पुत्री नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
4. रोशन बाई पुत्री नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
5. माया बाई पुत्री नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
6. रामप्यारी पत्नी नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी
7. मीना पुत्री नीमलाल जाति बलाई निवासी गुमानपुरा, तह.बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये मुख्य शाखा प्रबंधक,
   पुरानी सब्जी मण्डल, इंदिरा मार्केट, बून्दी
2. रामहेत आ. रामलोचन जाति मेघवाल निवासी ग्राम परेली का बरडा,
   तहसील एवं जिला बून्दी
3. मूलचंद आ. नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी परेली का बरडा,
   तहसील एवं जिला बून्दी
4. भंवरलाल पुत्र चतुर्भुज जाति मेघवाल निवी ग्राम सीलोर (मृतक)
   जर्ये कायम मुकामान :—
   4/1.कैलाश आ. स्व.भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   4/2.पृथ्वीराज आ.स्व.भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   4/3.धनराज आ. भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   4/4.रामभरोसी बाई पत्नी भंवरलाल मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   4/5.बदाम बाई पुत्री भंवरलाल मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   4/6.रामप्यारी बाई पुत्री भंवरलाल मेघवाल निवासी ग्राम सीलोर
   तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री महेश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री शिफा उल हक, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 4/1 से 4/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 405 दिनांक 28.03.2003 ग्राम रायता से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड बैंक रहननामा के आधार पर बैंक के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 35/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/61 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। पत्रावली पर पेशी दिनांक 29.11.2021 को रेस्पो.सं.1 की ओर से उपस्थित वकील श्री मोहम्मद नफीस द्वारा जवाब एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अंडरटेकिंग दी गई, किन्तु 4 तारीख पेशियों पर अवसर दिये जाने के बावजूद भी रेस्पो.सं.1 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 28.06.22 को किसी प्रतिनिधि के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से रेस्पो.सं.1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने अपील रेस्पो.सं. 4 भंवरलाल के फोत हो जाने से उसके वारिसान को रेस्पो.सं. 4/1 लगायत 4/6 को अपील में कायम मुकाम पक्षकार बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा संख्या 247, 248, 249, 250, 311 एवं 437 वाके ग्राम रायता, तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। जिसके खातेदार रामकिशन, नीमलाल पि. औंकार व बाली बेवा किशना जाति बलाई थे। रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध में नहीं रहा है। रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 द्वारा खातेदार नीमलाल व रामकिशन के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर से अनुसूची धारा–6(1) दृष्टिबंधन करार गारण्टी विलेख तैयार कर कूटरचित दस्तावेज को उप पंजीयक कार्यालय बून्दी प्रस्तुत कर पंजीयन करवा लिया तथा रेस्पोडेंट सं. 1 से 48,000/– रू. ऋण प्राप्त कर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया, जबकि अपीलांट के पूर्वजों द्वारा उक्त खसरा नम्बर को कभी भी रेस्पो.सं.1 को

जिला कलेक्टर, बून्दी

भारग्रस्त नहीं किया था और न ही बैंक के पक्ष में कोई रहननामा पंजीबद्ध नहीं करवाया गया था। रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 द्वारा किये गये उक्त कृत्य की जानकारी मिलने पर नीमलाल द्वारा दिनांक 25.04.2003 को पुलिस थाना सदर देवपुरा बूंदी में जानकारी के अनुसार रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 243/2003 जुर्म धारा 420, 406 में दर्ज करवाया गया, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद विचारण माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी द्वारा रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 के विरूद्ध दिनांक 13.06.2013 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की माननीय अपीलीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सं.1, बून्दी द्वारा दिनांक 05.02.2020 को यथावत रखते हुये दण्डादेश की पुष्टि की गई। जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 12.02.2020 को रेस्पो.सं.1 को मु0बि0क0 नामान्तरकरण निरस्त करवाने एवं नोड्यूज जारी करने के लिए न्यायालय के आदेश की प्रति सहित निवेदन करने पर रेस्पो.सं.1 द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात कोरोना माहमारी के कारण अपीलांट उक्त नामान्तरकरण आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सका। दिनांक 05.03.2021 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 15.03.2021 को प्राप्त होने पर अपील दिनांक 17.03.2021 को पेश की गई। अपीलाधीन आदेश फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दर्ज होने से प्रारम्भतः ही विधि की दृष्टि से शून्य आदेश है, ऐसे शून्य प्रभावी आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए समयसीमा लागू नहीं होती है। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार नीमलाल के वारिसान होना तथा अपने हक की भूमि पर काबिज काश्त होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपने पिता के खाते के राजस्व रिकार्ड के बारे में 18 वर्ष तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है। अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 द्वारा अपीलांटस की ओर से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.03 की दिनांक 05.02.2020 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित करते हुये राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त कर दिनांक 17.03.2021 को हस्तगत अपील पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत कूटरचित दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है तथा ऐसे आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, अपितु ऐसे अवैध आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यहां उल्लेखनीय है कि यह मामला पहले सिविल न्यायालय में लम्बित था, किन्तु उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.02.2020 उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त नहीं किये जाने पर वादकरण उत्पन्न हुआ। ऐसे में दिनांक 05.02.2020 को अपीलांट द्वारा जानकारी होने का तथ्य युक्तियुक्त है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम रायता, तहसील बून्दी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247, 248, 249, 250, 311 एवं 437 किता 6 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार रामकिशन, नीमलाल पि. औंकार, मु.बाली बेवा किशना कौम बलाई निवासी गुमानपुरा थे। खातेदार रामकिशन व नीमलाल का हिस्सा रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बून्दी के पक्ष में दिनांक 28.03.2003 को दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 405 तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे। जबकि रेस्पो.सं. 2, 3 की ओर से अपने बचाव में न तो कोई तथ्य प्रकट किये गये और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 बून्दी द्वारा दांडिक अपील संख्या 3/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम रायता में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 247, 248, 249, 250 किता चार रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा मय कुआ के खातेदार रामकिशन, नीमलाल है। जिसे अभियुक्तगण मूलचन्द, रामहेत ने अपने कब्जे की बताकर तथा अभियुक्त भंवरलाल को चतुर्भुज बताकर उसकी

जिला कलेक्टर, बून्दी

जमानत दिलाकर अपने स्वयं के फोटो पर नीमलाल व रामकिशन उर्फ रामदेव के फर्जी हस्ताक्षर करते हुये कूटरचित दस्तावेज बनाकर षडयंत्रपूर्वक स्वयं को नीमलाल, रामकिशन उर्फ रामदेव के रूप में प्रस्तुत कर प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए एस.बी.बी.जे. शाखा बून्दी से परिवादी की भूमि पर कृषि ऋण के रूप में 24000/–, 24000/– कुल 48,000/–रूपये ऋण प्राप्त किया है। जिस कारण अभियुक्तगतण को धारा 419/120 बी, 420/120 बी, 467/120 बी, 468/120 बी, 471/120 बी भारतीय दण्ड संहिता में विधि अनुसार दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्तगण को अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन कृषि भूमि पर रजिस्टर्ड बैंक रहननामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रहन का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, उक्त रजिस्टर्ड बैंक रहननामा माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2020 के अनुसार अवैध दस्तावेज घोषित हो चुका है। ऐसे में अवैध दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 405 भी विधिविरूद्ध हो जाता है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 405 दिनांक 28.03.2003 वाके ग्राम रायता निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी